तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
25/01/24	[redacted] वादी प्रार्थी चस्पां [redacted] उपस्थित/अनुपस्थित/श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दीगर कार्य के कारण पर है। अतः पत्रावली वास्ते प्रवाही दिनांक 11.3.24 को पेश हो।	
11.3.24	[redacted] वादी प्रार्थी चस्पां [redacted] उपस्थित/अनुपस्थित/श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय बैंक पधारे हैं पर है। अतः पत्रावली वास्ते .... दिनांक 3/5/24 को पेश हो। प्रवाही	
03/05/24	आज यह पत्रा. पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उप.। गत आदेशानुसार वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पत्रावली दि. 19.06.24 को पेश हो।	
19/06/24	आज यह पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उप.। पूर्ववत् पत्रावली दिनांक 07.08.24 को पेश हो।	
07.08.24	वकील वादी प्रार्थी चस्पां, फरीकैन उपस्थित/अनुपस्थित/श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय बैंक पधारे हैं पर है। अतः पत्रावली वास्ते .... दिनांक 25/09/24 को पेश हो। प्रवाही	
25.09.24	वकील वादी प्रार्थी चस्पां, फरीकैन उपस्थित/अनुपस्थित/श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय बैंक पधारे हैं। पर है। अतः पत्रावली वास्ते .... दिनांक 11.11.24 को पेश हो। प्रवाही	
11/11/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उप.। पूर्व. पत्रावली दिनांक 20.11.24 को पेश हो।	
20.11.24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित उन्हें सुना गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अवगत कराया कि आ०ख०नं० 534 रकबा 0.64 हे० वाके ग्राम खेड़ा में स्थित है जिसमें वादी 1/2 हिस्से व दरख्वास्त प्रतिवादी ... व मनोज 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं काबिज आसामी है लेकिन उक्त आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वादी को पारिवारिक विभाजन में न्यायानुसार प्राप्त हुआ है जिसकी चारों तरफ से डोल मेंड कायम हो रही है अप्रार्थी प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कभी कोई वास्ता नहीं रहा है जो डोल मेंड तोड़कर आराजी को अपने कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं कर रहे हैं। अतः अप्रार्थी प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावे तथा प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण सं. 8 द्वारा बताया गया कि वाद ग्रस्त आराजी मृतक कोरवाल द्वारा जरिये इकरारनामा राधेश्याम को बेच दी गई थी तथा तभी से मौके पर उक्त आराजी पर गो० रमजान अप्रार्थी का कब्जा है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे। हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जिससे मामला एवं सुविधा का सन्तुलन वादी प्रार्थी के हक में प्रतीत है अतः अप्रार्थीगण अमल के विरुद्ध अस्थाई अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से जारी की जाती है आ० ख० नं. 334 रकबा 0.6400 हे० वाके ग्राम खोहरा तहसील भुसावर के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा रुकावट पैदा नहीं करें तथा ताफैसला मूल वाद मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मसल से नत्थी तथा संलग्न मूल वाद हो। (राधेश्याम मीणा) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भुसावर भरतपुर (राज.)